कार्यालय निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय –आदेश

उत्तर प्रदेश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिये कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं0 303/सा–का–4–2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं सं0 314/सा–का–4.2020 दिनांक 14 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में पत्र संख्या 44/स्था0–1/एल0एस0/ दिनांक 18.04.2020 एवं पत्र संख्या 43/स्था0–1 दिनांक 18.04.2020 एवं पत्र संख्या 614/स्था 0–3 दिनांक 08.05.2020 द्वारा कोविड–19 के क्रम में शासनादेश संख्या 9/2020/362/ सामान्य–का –4–2020–303/2020 टी0सी0 दिनांक 23 मई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिये कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है:–

प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों को खोलने की व्यवस्था करेंगे एवं स्वयं उपस्थिति रहेंगें। कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की आवश्यकता का निर्धारण कर रोस्टर इस प्रकार बनाये कि कार्मिक अलटरनेट दिवस में कार्यालय आये परन्तु शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों। कार्यालय में कार्यावधि में सोशल डिस्टेन्सिग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों के दृष्टिगत प्रत्येक कार्मिक अपने मोबाईल में यथा सम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

2– कार्यालय आने वाले कार्मिको के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय:–

क:– प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

ख:– प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

ग:– प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में उक्त शासनादेश दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित शाखाओं के प्रशासनिक अधिकरियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अनुभाग में 50 प्रतिशत कार्मिकों का आवश्यकता के अनुसार रोस्टर को निर्धारित करते हुये ,निर्धारित पालियो के अनुसार कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें, तथा समय समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
(प्रशासन एवं विकास)

संख्या 722 /स्था0–3 दिनांक 27-5-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद , बादशाहबाग ,लखनऊ।

2– निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।

3– समस्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह अपने अनुभाग के समस्त कर्मचारियों की उपस्थित उक्त निर्देशों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

4– समस्त वैयक्तिक सहायक ,प्रधान कार्यालय।

5– निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) प्रधान कार्यालय के वैयक्तिक सहायक को निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) ,के अवलोकनार्थ।

6– प्रमुख सचिव ,पशुधन उ0प्र0 शासन, सचिवालय ,लखनऊ।

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
(प्रशासन एवं विकास)